उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय

(राज्य सरकार का स्वायत्तशासी निकाय, विश्वविद्यालय अनुदान अधिनियम, 1956 की धारा 2(एफ) के अन्तर्गत मान्यताप्राप्त; भारतीय विश्वविद्यालय संघ (ए.आई.यू.) की सदस्यता प्राप्त)

हर्रावाला, देहरादून – 248001 दूरभाष : 0135–2685124, फैक्स : 0135–2685137,
वेबसाईट : www.uau.ac.in ईमेल : uttarakhandayueved@gmail.com,
uauexam@gmail.com

पत्रांक संख्याः 1902/उ0आ0वि0/काउंसिलिंग/2019–20 दिनांक : 14.10.2019

बेवसाईट विज्ञप्ति

1. शासन द्वारा निर्देशों के अनुपालन में विशेष परिस्थितियों में पूर्णतया मैनुवल रूप से विशेष चरण मॉप–अप काउन्सिलिंग का आयोजन किया जाऐगा। जिस हेतु दिनांक 14.10.2019 को सांय 08:00 बजे से दिनांक 15.10.2019 अपरान्हः 01:00 बजे तक पंजीकरण; दिनांक 15.10.2019 को पूर्वान्ह 10:00 बजे से अपरान्हः 01:00 बजे तक अभिलेख सत्यापन तथा तदोपरान्त रिक्त सीटों के सापेक्ष गठित कांउसिलिंग बोर्ड के माध्यम से सीट आवंटन की कार्यवाही सम्पादित की जायेगी। अभिलेख सत्यापन प्रक्रिया में अभ्यर्थियों को स्वयं उपस्थित होकर काउन्सिलिंग स्थल पर वांछित अभिलेखों/मूल प्रमाण पत्रों सहित उपस्थित होना होगा। काउन्सिलिंग स्थल विश्वविद्यालय मुख्य परिसर होगा।

2. इस काउन्सिलिंग चरण में सर्वप्रथम नीट अर्हता धारक अभ्यर्थियों को प्रवेश में वरियता दी जायेगी। मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल एवं शासन के निर्देशों के क्रम में नीट अभ्यर्थी उपलब्ध नही होने की स्थिति में इण्टरमीडिएट विज्ञान वर्ग (फिजिक्स, कैमिस्ट्री, बायोलॉजी) में न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांक प्राप्त अभ्यर्थी अनारक्षित वर्ग हेतु तथा आरक्षित वर्ग के लिए इण्टरमीडिएट विज्ञान वर्ग (फिजिक्स, कैमिस्ट्री, बायोलॉजी) में न्यूत्तम 40 प्रतिशत प्राप्तांक प्राप्त अभ्यर्थी निम्नलिखित सम्बद्व निजी आयुष कालेज में प्रवेश लेने हेतु अर्ह होगें :–

   i. **उत्तरांचल आयुर्वेदिक कॉलेज, राजपुर, देहरादून।**
   ii. **दून इंस्टिटियूट ऑफ आयुर्वेद फैकल्टी मेडिकल साईन्सेज, शंकरपुर, सहसपुर, देहरादून।**
   iii. **मदरहुड आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, रूडकी, हरिद्वार।**
   iv. **ओम आयुर्वेदिक मेडिकल आयुर्वेदिक कालेज, रूडकी हरिद्वार।**

   उक्त चारों सम्बद्व कालेजों में प्रवेश की वैधता मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल के अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।

3. प्रथम वरीयता नीट अर्ह अभ्यर्थी तथा द्वितीय वरीयता सी0सी0आई0एम0 द्वारा निर्धारित योग्यता धारक अभ्यर्थियों को दी जायेगी।

4. उक्त चरणों में नये सिरे से पंजीकरण कराया जायेगा। काउन्सिलिंग चरण के माध्यम से पूर्व में परिसर/संस्थानों में प्रवेशित अभ्यर्थी इस काउन्सिलिंग चरण में सम्मिलित नहीं हो सकते। शेष अन्य अभ्यर्थियों (जिन्होने पूर्व में आवंटित सीटों के सापेक्ष प्रवेश नहीं लिया अथवा काउन्सिलिंग प्रक्रिया में आवेदन किया गया) को इस चरण में सम्मिलित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

5. अखिल भारतीय कोटे के अभ्यर्थी इस चरण में अखिल भारतीय कोटे के साथ ही राज्य कोटे की सीटों के सापेक्ष सभी मान्यता आयुष स्नातक कालेजों में प्राप्त प्रवेश ले सकते हैं।

6. प्रत्येक अभ्यर्थी को पंजीकरण शुल्क के रूप में रूपया 2000/– मूल्य का बैंक ड्राफ्ट (जो कि वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, देहरादून के नाम देय हो) अथवा लेखा अनुभाग में नकद जमा कर प्राप्ति रसीद के साथ निर्धारित प्रपत्र पर पंजीकरण हेतु प्रस्तुत करेंगे। बिना आवेदन शुल्क जमा किये कोई भी अभ्यर्थी इस काउन्सिलिंग चरण में सम्मिलित नहीं हो सकेगा।

7. उक्त चरण की काउन्सिलिंग में अभ्यर्थी द्वारा अपने समस्त मूल अभिलेखो के स्वप्रमाणित 01 छाया–प्रति एवं 05 नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो तथा निम्नलिखित मूल अभिलेख साथ लेकर उपस्थित होना होगाः–
   1. हाई स्कूल एवं इण्टर मिडिएट की मार्कसीट एवं प्रमाण पत्र (उत्तीर्ण)
   2. नीट–2019 प्रवेश पत्र एवं अंक पत्र
   3. जाति प्रमाण पत्र (यदि सामान्य न हो तो)
   4. उपश्रेणी प्रमाण–पत्र
   5. चरित्र प्रमाण–पत्र
   6. कश्मीरी विस्थापित प्रमाण–पत्र (यदि हो तो)
   7. स्थाई निवास एवं मूल निवास प्रमाण–पत्र
   8. पहचान पत्र (आधार कार्ड, ड्राईविग लाईसेंस, पैन कार्ड,)
   9. टी0सी0 एवं माग्रेसन

नोडल अधिकारी, काउन्सिलिंग